राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 3222 / SEIAA/2022
Date: 2/3/22

प्रति,

श्री मोहित माहेशवरी ,
आत्मज श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी,
निवासी नारायण बाग के पास, छावनी, आगर–मालवा
जिला आगर–मालवा (म.प्र.)–465441

विषयः– **प्रकरण क्र. 8741/2021** : परियोजना प्रस्तावक श्री मोहित माहेश्वरी आत्मज श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी, निवासी नारायण बाग के पास, छावनी, जिला आगर–मालवा (म.प्र.)–465441 द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकवा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 478 पार्ट, ग्राम जामली, तहसील बड़ौद, जिला आगर–मालवा (म.प्र.)–की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण सिया की 695वी बैठक दिनांक 09.12.2021 एवं SEAC समिति द्वारा 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 में अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 706 वी बैठक दिनांक 16.2.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) आगर–मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 865 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नहर, बांध, प्राकृतिक नाला, पब्लिक सड़क इत्यादि नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से पक्की सड़क 65 मीटर एवं प्राकृतिक नाला 87 मीटर पर होना परिलक्षित है। चूँकि माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/संवेदनशील क्षेत्र/राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/पब्लिक रोड़/पुल/बांध/नदी/नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में बांध संरचना से प्रतिबंधित दूरी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम उपलब्धता के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श कर सर्व सम्मति से न्यूनतम उत्खखन क्षेत्र उपलब्ध न होने कि स्थिति में उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण निरस्त किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3223 /SEIAA/2022 दिनांक – 2/3/22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला – आगर–मालवा (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला – आगर–मालवा (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला – आगर–मालवा (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी